न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—193 / 2017 / 223 (2017 / 00193)

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व0 बालू, जाति रावत, निवासी ग्राम प्रतापपुरा, पोस्ट नरबदखेड़ा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. बाबूसिंह पुत्र स्व0 बालू,
2. सुन्दरसिंह पुत्र स्व0 बालू,
3. मदनसिंह पुत्र स्00 बालू,
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम प्रतापपुरा पोस्ट नरबदखेड़ा, तह0ब्यावर जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर,तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर।
5. उप पंजीयक, तहसील कार्यालय, ब्यावर ।
6. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।
7. श्रीमती कोयल पत्नि किशनसिंह,
8. तिलोकसिंह पुत्र किशनसिंह,
9. लीला पुत्री किशनसिंह,
10. कंकू पुत्री किशनसिंह,
11. हुकमी पुत्री किशनसिंह,
12. प्रेम पुत्री किशनसिंह,
13. सुशीला पुत्री किशनसिंह,
    समस्त जाति रावत, निवासी प्रतापपुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 9.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 58 / 2016.

उपस्थितः—

1. श्री एहतेशाम चिश्ती, वकील अपीलांट।
2. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 अनुपस्थित ।
3. श्री कृष्णप्रकाश सिंह, वकील रेस्पो0 7 व 8.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 से 6.

निर्णय

दिनांकः— 28.8.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.6.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम प्रतापपुरा पटवार क्षैत्र नरबदखेड़ा, तह0 ब्यावर में वर्णित आराजियात खसरा नंबर 25 रकबा 1—00—00, खसरा नंबर 80 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 88 रकबा 1—18—10, खसरा नंबर 97 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 98 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वांसी, खसरा नंबर 128 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 134 रकबा 00—11—10, खसरा नंबर 135 रकबा 00—4—00, खसरा नंबर 164 रकबा 1—0—10, खसरा नंबर 165 रकबा 1—00—10 स्थित है । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की पुश्तैनी आराजियात दर्ज चली आ रही है जिसके खातेदार काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता स्व0 बालू पुत्र अन्ना थे जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 से प्रमाणित है । बालू का स्वर्गवास हो चुका है, उनके वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है। इस प्रकार विवादित आराजियात में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा होकर खातेदार है । वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 से दिनांक 19.140.2016 को बंटवारा करने हेु निवेदन किया किन्तु उन्होंने साफ इंकार कर दिया इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई । अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवातिद भूमि का वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध बंटवारे की डिक्री पारित की जाकर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा अलग—अलग किया जाकर वादी को बंटवारे के अनुसरण में उसके हिस्से में आई आराजियात का मौके पर कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 9.6.2017 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अधी0 न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. उक्त अपील के विचाराधीन रहते विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री कृष्णप्रकाश सिंह ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 आपस में सगे भाई है तथा विवादित भूमियां पन्ना पुत्र जोधा की थी। पन्ना का स्वर्गवास हो चुका है । स्व0 पन्ना पुत्र जोधा का सजरा अंकित कर कथन किया कि पन्ना पुत्र जोधा के दो पुत्र बालूसिंह व किशनसिंह थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है । बालूसिंह पुत्र पन्ना के वारिसान में पानी बेवा बालूसिंह कि जिसका स्वर्गवास हो चुका है तथा बाबूसिंह, लक्ष्मणसिंह, सुन्दरसिंह, मदनसिंह पुत्रगण बालूसिंह है । इसी प्रकार किशनसिंह पुत्र पन्ना के वारिसान में श्रीमती कोयल बेवा किशनसिंह, तिलोकसिंह पुत्र किशनसिंह, लीला, कंकू, हुक्मी, प्रेम, सुशीला पुत्रियां किशनसिंह है । उपरोक्त विवादित भूमियां प्रार्थीगण व किशनसिंह के वारिसान बेवा कोयल, तिलोकसिंह पुत्र व पुत्रियों व अपीलांटस एवं

रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के बुजुर्गान स्व0 पन्ना पुत्र जोधा की पुश्तैनी आरायिजात थी जिसमें पन्ना पुत्र जोधा के फौत हो जाने के बाद उनके वारिसान बालूसिंह व किशनसिंह प्रत्येक का 1/2 हिस्सा निहित चला आ रहा था और बालूसिंह के फौत हो जाने के बाद उनके वारिसान अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा एवं किशनसिंह के फौत होने पर उनके वारिसान प्रार्थीगण व किशनसिंह की पुत्रियों का 1/2 हिस्सा निहित हो गया और उक्त हिस्सों के अनुसार काबिज चले आ रहे है किन्तु प्रार्थी तिलोकसिंह जो कि मध्यप्रदेश में सन् 1985 से कार्यरत चला आ रहा था किन्तु उक्त भूमियों पर प्रार्थिया कोयल ही 1/2 हिस्से पर काश्त करती चली आ रही थी किन्तु बालूसिंह व उनके वारिसान ने आपसी मिलीभगत करते हुए राजस्व रिकार्ड में पन्ना पुत्र जोधा की मृत्यु के बाद संपूर्ण भूमियां बालूसिंह ने अपने नाम दर्ज करवा ली और बालूसिंह की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज करवा दी जबकि विवादित भूमियों पर कब्जा व काश्त प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है । विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात पुश्तैनी आरायिजात है । उक्त हिस्सों की घोषणा के लिये प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 14 सन् 2010 अजनाम श्रीमती कोयल बनाम श्रीमती पानी वगै0 का अधी0न्याया0 में प्रस्तुत किया गया था जिसके सम्मन अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के विरूद्ध जारी किये गये किन्तु वे उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर अधी0न्याया0 ने उक्त दावा प्रार्थीगण के हक में दिनांक 13.9.2010 को स्वीकार करते हए किशनसिंह के वारिसान का 1/2 हिस्सा तथा अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 1 से 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिकी को अपीलांटस व रेस्पो0 ने सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है जिससे उक्त निर्णय आज भी प्रभाव में है । उक्त निर्णय व डिक्री की पालना कराने हेतु इजराय पेश की गई तब उक्त अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दावे की जानकारी हुई । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2010 की जानकारी अपीलांटस एवं रेस्पो0 को होने के बावजूद अधी0न्याया0 में प्रार्थीगण को पक्षकार कायम नहीं किया गया जबकि प्रार्थीगण प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 स्वीकार कर प्रकरण में उत्तरदाता पक्षकार नियुक्त करने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 का लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कथन, वंशावली असत्य, निराधार, अस्पष्ट होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है । प्रार्थीगण द्वारा जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2010 का हवाला प्रार्थना पत्र में दिया गया है उसकी अपीलांट को कभी भी जानकारी नही रही बल्कि सर्वप्रथम जानकारी अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.6. 2017 से हुई है । प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में जो आधार पक्षकार संयोजित करने हेतु उल्लेखित किये है वे विधि के दृष्टिकोण से उचित एवं पर्याप्त नहीं होने से प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है । अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे ।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की पुश्तैनी आराजियात दर्ज चली आ रही है जिसके खातेदार काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता स्व0 बालू पुत्र अन्ना थे जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 से प्रमाणित है । बालू का स्वर्गवास हो चुका है, उनके वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है

। इस प्रकार विवादित आराजियात में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा होकर खातेदार है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है । दिनांक 9.6.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प नदबदखेड़ा मे वादी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए थे, न ही उनकी कोई सहमति ली गई, ना ही कोई बहस सुनी गई बल्कि एक तृतीय पक्ष श्रीमती कोयली पत्नि किशनसिंह जो कि मौजूदा वाद में पक्षकार ही नहै, उसकी उपस्थिति अविधिक रूप से ग्रहण कर उसके द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति निर्णय दिनांक 13.9.2010 अविधिक रूप से ग्रहण कर इस कथित फोटो प्रति के आधार पर यह विवेचना देते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया कि निर्णय व डिक्री दिनांकित 13.9.2010 में वर्तमान वाद के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध इन्हीं वादग्रस्त खसरा नंबरान पर खातेदारी निरस्त करने का आदेश पारित किया हुआ है, जिसके कारण वादी वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कराये जाने का अधिकारी नहीं पाया जाता है, यह विवेचना व प्रक्रिया पूर्णतया विधिविरूद्ध है । उक्त वर्णित निर्णय व डिकी दिनांक 13. 9.2010 की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कोई जानकारी नहीं है न कभी रही है । बिना विचारण के व बिना वादी साक्ष्य लिये तृतीय पक्ष के किसी फोटो प्रति, दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाना गंभीर रूप से विधिक त्रुटि है । यदि तृतीय पक्ष के वास्तव में कोई हक अधिकार थे तो वह मौजूदा वाद में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश कर यदि न्यायालय उचित समझता तो पक्षकार नियुक्त कर सकती थी एवं उसके बाद जवाबदावा प्रस्तुत कर यह तृतीय पक्ष विधिनुसार अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत कर सकता था किन्तु अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

7. हम सर्वप्रथम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 का निर्णित करना उचित समझते है । प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 आपस में सगे भाई है तथा विवादित भूमियां पन्ना पुत्र जोधा की थी। पन्ना का स्वर्गवास हो चुका है । स्व0 पन्ना पुत्र जोधा का सजरा अंकित कर कथन किया कि पन्ना पुत्र जोधा के दो पुत्र बालूसिंह व किशनसिंह थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है । बालूसिंह पुत्र पन्ना के वारिसान में पानी बेवा बालूसिंह कि जिसका स्वर्गवास हो चुका है तथा बाबूसिंह, लक्ष्मणसिंह, सुन्दरसिंह, मदनसिंह पुत्रगण बालूसिंह है । इसी प्रकार किशनसिंह पुत्र पन्ना के वारिसान में श्रीमती कोयल बेवा किशनसिंह, तिलोकसिंह पुत्र किशनसिंह, लीला, कंकू, हुक्मी, प्रेम, सुशीला पुत्रियां किशनसिंह है । उपरोक्त विवादित भूमियां प्रार्थीगण व किशनसिंह के वारिसान बेवा कोयल, तिलोकसिंह पुत्र व पुत्रियों व अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के बुजुर्गान स्व0 पन्ना पुत्र जोधा की पुश्तैनी आरायिजात थी जिसमें पन्ना पुत्र जोधा के फौत हो जाने के बाद उनके वारिसान बालूसिंह व किशनसिंह प्रत्येक का 1/2 हिस्सा निहित चला आ रहा था और बालूसिंह के फौत हो जाने के बाद उनके वारिसान अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा एवं किशनसिंह के फौत होने पर उनके वारिसान प्रार्थीगण व किशनसिंह की पुत्रियों का 1/2 हिस्सा निहित हो गया और उक्त हिस्सों के अनुसार काबिज चले आ रहे है । प्रार्थी तिलोकसिंह जो कि मध्यप्रदेश में सन् 1985 से कार्यरत चला आ रहा था किन्तु उक्त भूमियों पर प्रार्थिया कोयल ही 1/2 हिस्से

पर काश्त करती चली आ रही थी किन्तु बालूसिंह व उनके वारिसान ने आपसी मिलीभगत करते हुए राजस्व रिकार्ड में पन्ना पुत्र जोधा की मृत्यु के बाद संपूर्ण भूमियां बालूसिंह ने अपने नाम दर्ज करवा ली और बालूसिंह की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज करवा दी जबकि विवादित भूमियों पर कब्जा व काश्त प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है । विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात पुश्तैनी आरायिजात है । उक्त हिस्सों की घोषणा के लिये प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 14 सन् 2010 अजनाम श्रीमती कोयल बनाम श्रीमती पानी वगै0 का अधी0न्याया0 में प्रस्तुत किया गया था जिसके सम्मन अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के विरूद्ध जारी किये गये किन्तु वे उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर अधी0न्याया0 ने उक्त दावा प्रार्थीगण के हक में दिनांक 13.9.2010 को स्वीकार करते हुए किशनसिंह के वारिसान का 1/2 हिस्सा तथा अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 1 से 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है । इसके विपरीत अपीलांटस का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन एवं दर्शाया सजरा असत्य है । इस संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.6.2017 का अवलोकन किया गया। अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि '''पत्रावली को कैम्प कोर्ट में पेश होने पर श्रीमती कोयली बेवा किशनसिंह द्वारा न्यायालय के ध्यान में लाया गया कि इस न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 114/2010 उनवान श्रीमती कोयली व अन्य बनाम श्रीमती पानी व अन्य निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2010 पारित किया गया है जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत की है । उक्त निर्णय जिसमें वर्तमान वाद के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध इन्हीं वादग्रस्त खसरा नंबरान पर खातेदारी निरस्त करने का आदेश पारित किया हुआ है, जिसके कारण वह संपूर्ण वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कराने के अधिकारी नहीं पाए जाते है।'' अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2010 द्वारा प्रार्थीगण को विवादित आराजियात में 1/2 हिस्से का तथा अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। इसके बावजूद अपीलांटस ने उक्त तथ्य को छिपाते हुए प्रार्थीगण को अधी0न्याया0 में प्रस्तुत वाद में पक्षकार संयोजित किये बिना वाद प्रस्तुत किया है । अपीलांटस ने ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2010 को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर निरस्त करवाया जा चुका हो । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2010 आज भी प्रभाव में होने से प्रार्थीगण हस्तगत वाद एवं अपील में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत बंटवारा के वाद पक्षकार संयोजित नहीं किया जबकि प्रार्थीगण विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थीगण को सुना जाना न्यायोचित एवं आवश्यक समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 58/2016 बउनवान लक्ष्मणसिंह बनाम बाबूसिंह व अन्य निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है। आवेदनकर्ता प्रार्थना पत्र दिनांक 9.1.2019 आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 स्वीकार किये जाने से आवेदन पत्र में अंकित स्व0 किशनसिंह के वारिसान को अपील में बतौर रेस्पो0 पक्षकार कायम किया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 58/2016 बउनवान लक्ष्मणसिंह बनाम बाबूसिंह व अन्य को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर पुनः निर्णित करे । पक्षकारान दिनांक 3.10.2019 को अधी0न्याया0 में उपस्थित हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 28.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर